राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2020-21

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0

1. निगम की स्थापना :

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 की दिनांक 08.12.2010 को स्थापना की गई थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार कम्पनी मामलें, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूँजी :

निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड रूपये है। 50 करोड रूपये के अंशों में से 49.93 करोड रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात सदस्यों के नाम है।

3. निगम का संचालक मण्डल :

क्र. सं.	पद नाम	संचालक मण्डल में पद
1.	शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	निदेशक
4.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ	निदेशक
6.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	निदेशक
7.	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–I) विभाग	निदेशक

4. निगम के विगत चार वर्षो के वित्तीय परिणाम :

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17
1.	Profit before interest & Depreciation	944.25	1396.62	1598.07	701.72
2.	Less: interest	Nil	688.15	638.5	30.27
3.	Operational Profit/Loss	944.25	708.47	959.57	671.45
4.	Less: Depreciation	40.71	60.87	17.49	14.63
5.	Profit/Loss after interest & Depreciation	903.54	647.6	942.08	656.82
6.	Profit/Loss for appropriation	504.63	515.02	566.35	351.31

नोटः– वर्ष 2017–18 व अग्रिम वर्षो के अंतिम लेखे तैयार नही हुए है, अतः वर्ष 2017–18 व अग्रिम की उपरोक्त सूचनाऐ उपलब्ध नही है।

5. निगम के कार्य एवं उददेश्य :

5.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

5.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बडे निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों परउचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

5.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहॉ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नही है वहॉ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहॉ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहॉ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

5.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

5.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य–तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्धकराने का कार्य करेगा।

5.6 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.डी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वांशिग सोप, पिसे हुए मसालें आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

5.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

6. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति :

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 21.04.211, 28.06.2011, 24.10.2011, 17.12.2012 एवं 04.06.2013 के द्वारा निगम हेतु स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तयों के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कार्यरत कार्मिक
1.	निगम कार्यालय (मुख्यालय)	61	28	33	22
2.	जिला कार्यालय	272	238	34	34
3	तहसील स्तर	488	117	371	निगम की तहसील स्तर पर कोई भी इकाई कार्यरत नहीं है। जिला स्तर पर कार्यरत सर्तकता निरीक्षण (JCO) तहसील स्तर के स्वीकृत पदो के विरूद्व कार्यरत है।

7. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न एवं चीनी के थोक विक्रेता का कार्यः–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा के अनुरूप निगम का गठन करते हुये भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का उठाव कर तथा चीनी मीलों से लेवी चीनी का उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का दायित्व निगम को सौंपा गया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा दिनांक 11.04.2011 को आदेश जारी कर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 जयपुर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न/चीनी के उठाव एवं वितरण के लिये सम्पूर्ण राज्य हेतु राज्य स्तरीय प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया हुआ है।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न की आपूर्तिः–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह लगभग 2.32 लाख मैट्रिक टन गेहूं आंवटन किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं का उठाव कर पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का कार्य राजस्थान राज्य खाद्य एव नागरिक आपूर्ति निगम लि. के जिलों में पदस्थापित प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति के द्वारा थोक विक्रेता के रुप में किया जा रहा है। वर्तमान में चरणबद्ध रूप से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के तहत ई–निविदा आमंत्रित कर परिवहनकर्ता के माध्यम से प्रदेश के 26 जिलों में खाद्यान्न परिवहन का कार्य किया जा रहा हैं। शेष 07 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति का कार्य कराया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कोविड–19 वायरस से उत्पन्न आपदा की परिस्थिति में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में निगम के द्वारा किये गये अतिरिक्त कार्य

कोविड–19 वायरस के कारण उत्पन्न आपदा की परिस्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में विभिन्न योजनाओं के तहत खाद्यान्न एवं चना व चना दाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा मुख्यमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। जिनका विवरण योजनावार निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

8.1 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गेहूं वितरण

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा 5 कि.ग्रा. गेहूं प्रति यूनिट, प्रतिमाह निःशुल्क माह अप्रैल से नवम्बर तक NFSA के पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया उक्त तीन माह में कुल आवंटन 17656971.95 क्विं. किया गया जिसके विरूद्ध निगम के द्वारा 17647756.33 क्विं. गेहू का उठाव कर प्रदेश के सभी जिलों की उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचाया गया।

8.2 मुख्यमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गेहूं वितरण

मुख्यमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में जो NFSA के पात्र लाभार्थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत गेहूं प्राप्त करने से वंचित रह गये थे उनके लिए उक्त योजना के तहत माह अप्रैल एवं मई के लिए 5 कि.ग्रा. प्रति यूनिट गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु 339935.92 क्विं. आवंटित गेहूं का निगम द्वारा पूर्ण मात्रा में उठाव कर 339935.92 क्विं गेहूं प्रदेश के सभी जिलों की उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचाया गया।

8.3 आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रवासियों के निःशुल्क गेहूं वितरण

भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत 5 कि.ग्रा.गेहूं प्रति यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क माह मई एवं जून में प्रवासियों को उपलब्ध कराया गया। उक्त 2 माह में इस हेतु 446000 क्विं. गेहूं आवंटित किया गया जिसका निगम द्वारा सम्पूर्ण मात्रा में उठाव किया जाकर 446000 क्विं. गेहूं प्रदेश के सभी जिलों की उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचाया गया।

8.4 राज्य सरकार द्वारा अन्य श्रेणियों हेतु निःशुल्क गेहूं वितरण

राज्य सरकार के द्वारा गेहूं क्रय किया जाकर जो परिवार आत्मनिर्भर भारत योजना से वंचित रह गये थे ऐसे अन्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 5 कि.ग्रा. प्रति यूनिट प्रतिमाह माह मई एवं जून के लिए 187407.735 क्विं. गेहूं आवंटित किया गया। निगम के द्वारा सम्पूर्ण मात्रा में उठाव किया जाकर 187407.735 क्विं. गेहूं प्रदेश के सभी जिलों की उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचाया गया।

8.5 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना–I के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चना दाल वितरण

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में NFSA के पात्र लाभार्थियों हेतु 1 कि.ग्रा. चना दाल प्रति परिवार प्रतिमाह निःशुल्क माह अप्रैल मई एवं जून के लिए कुल 33555.879 एम.टी. आवंटित की गई, जो कि निगम के द्वारा उठाव किया जाकर 33501.386 एम.टी. चना दाल प्रदेश के सभी जिलों की उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचाई गई।

8.6 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना–II के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चना वितरण

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में NFSA के पात्र लाभार्थियों हेतु 1 कि.ग्रा. चना दाल प्रति परिवार प्रतिमाह निःशुल्क माह जुलाई से नवम्बर तक के लिए कुल 44235.620 एम.टी. आवंटित की गई, जो कि निगम के द्वारा उठाव किया जाकर 44170.403 एम.टी. चना दाल प्रदेश के सभी जिलों की उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचाई गई।

8.7 आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा चना वितरण

आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा प्रवासियों हेतु 1 कि.ग्रा. चना प्रतिमाह प्रति परिवार निःशुल्क माह मई एवं जून के लिए कुल 2236.6586 एम.टी आवंटित किया गया, जो कि निगम के द्वारा कुल 2234.532 एम.टी. का उठाव किया जाकर प्रदेश के सभी जिलों की उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचाया गया।

8.8 राज्य सरकार द्वारा अन्य श्रेणियों हेतु चना वितरण

राज्य सरकार द्वारा अन्य श्रेणियों के गरीब परिवारों हेतु चना क्रय किया जाकर 1 किलोग्राम चना प्रतिमाह प्रति परिवार निःशुल्क माह मई एवं जून के लिए कुल 1475.179 एम.टी. आवंटित किया गया है जो कि निगम के द्वारा पूर्ण मात्रा में कुल 1474.2464 एम.टी. का उठाव किया जाकर प्रदेश के सभी जिलों की उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचाया गया।

8.9 समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) योजनान्तर्गत दाल का वितरण

राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन समेंकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) योजनान्तर्गत पूरक पोषाहार की आपूर्ति एवं वितरण हेतु आंगनबाडी के पात्र लाभार्थियों के लिए 1 कि.ग्रा. चना दाल प्रति लाभार्थी प्रतिमाह वितरित किये जाने की योजना के अन्तर्गत माह मई से दिसम्बर तक के लिए 81368.277 एम.टी. का आवंटन किया गया है, जो कि निगम के द्वारा 66463.666 एम.टी. चना दाल का उठाव किया जाकर उचित मूल्य की दुकानों पर आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लाभार्थियों को वितरित किये जाने हेतु पहुंचाया जा चुका है। इसी प्रकार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास के लिये गेहूं का 492244.579 एम.टी. एवं चावल 400768.540 एम.टी. का आवंटन किया गया है। जो कि निगम के द्वारा गेहूं का 488559.060 एम.टी. एवं चावल का 381977.521 एम.टी. का उठाव किया जाकर आंगनबाडी के लाभार्थियों को उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। शेष मात्रा का उठाव किया जाकर आपूर्ति किया जाना प्रक्रियाधीन है।

9. पीडीएस के अन्तर्गत चीनी का वितरण

9.1. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी के वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेन्सी (Nodal Agency) है। भारत सरकार की योजनान्तर्गत अनुदानित चीनी का वितरण अन्त्योदय अन्न योजना (AAY)परिवारो को किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रति परिवार/प्रतिमाह एक किलोग्राम चीनी का वितरण उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य को प्राप्त लेवी चीनी का वार्षिक आवंटन एवं उठाव **परिशिष्ट–9** पर संलग्न है।

9.2. वित्तीय वर्ष 2020–2021 के प्रथम त्रैमास (अप्रेल–जून 2020) हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान द्वारा 681060 (AAY) परिवारो हेतु 2043. 180MT चीनी का आवंटन कर चीनी वितरण हेतु दिशा– निर्देश जारी किए गए थे। उक्त दिशा–निर्देशो के अनुसरण में निगम द्वारा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लि. से 15203.06 क्विंटल चीनी का क्रय रू 3490/– प्रति क्विंटल मय GST की दर से किया जाकर लक्षित परिवारो को चीनी का वितरण करवाया गया है।

9.3 वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय तिमाही के दौरान लक्षित परिवारो को 2187.0510 मै0 टन चीनी का वितरण निर्धारित दर से किया जा चुका है।

9.4 अन्त्योदय अन्न योजना परिवारो को चीनी वितरण के स्थान पर देय अनुदान के लाभ का प्रत्यक्ष अन्तरण (DBT)किये जाने हेतु निगम संचालक की 36वीं बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाकर राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। राज्य सरकार के निर्णय पश्चात् अन्त्योदय अन्न योजना परिवारो को उनके खाते में सीधे ही राशि का हस्तान्तरण किये जाने की कार्यवाही संपादित की जा सकेगी।

10. गैर पीडीएस वस्तुओं का विपणन कार्य :

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जयपुर का उद्देश्य राज्य की समस्त उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग में काम में आने वाली गुणवतापूर्ण वस्तुयें, सही वजन, किफायती एव प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर जनसाधारण को उपलब्ध करवायी जाती है । इसी क्रम में चाय व नमक की निविदा प्रकाशित कर दी गई है।

11. अन्नपूर्णा भण्डार योजनाः

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक – निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को उचित मूल्य की दुकानो से उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्रॉण्ड उपभोक्ता वस्तुएँ उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने की अवधारणा को ''अन्नपूर्णा भण्डारन योजना'' के रूप में मूर्त रूप देते हुए दिनांक 31.10.2015 को प्रथम अन्नपूर्णा भण्डार का जयपुर जिले में भम्भोरी ग्राम में शुभारम्भ किया गया। जिसके माध्यम से आम उपभोक्ताओ को मल्टीब्रांण्ड वस्तुऐ उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध करवायी गयी है। वर्ष 2020–21 में उक्त योजना के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नही की गई है।

****